

प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के सेटर हेंड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

रिश्ता कुमार
/सरपंच- ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
..... (विकास

प्रमाणित करता/करती जनपद
हैं कि श्री श्रीमती
(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
(पिता/माता का नाम), निवासी
..... (ग्राम पंचायत का नाम), जि.
..... (आधार संख्या) है, ने

..... में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/

..... में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।
..... करता/करती हैं कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियों मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार
द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य
..... इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही
उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

18/08/2026

इस्ताफा
ग्राम प्रधान
(.....)